मु.नं. 16/A
उनवान - गँगासहाय बनाम तहसीलदार

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिल

RCMS 2019/00229

फर्द अहकाम

दिनांक	
11.2.20	वादी वकील एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे पत्रावली में शामिल किया गया। वादी ने प्रार्थनापत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय से पेश किया है कि ग्राम खिरखिड़ी की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या 146, 25, 227 में प्रार्थी के पिता का नाम गँगी पुत्र रामलाल दर्ज कर रखा है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 3.6.19 को हो जाने से विरासत का नामा० खुलवाने पटवारी हल्का के पास गया तो नामा० इस कारण से नहीं खोला कि आपके समस्त दस्तावेजो में पिता का नाम गँगासहाय है किन्तु जमाबन्दी में गँगी दर्ज है। ग्राम खिरखिड़ी के ही खाता संख्या 31 में गँगासहाय पुत्र रामलाल दर्ज है। अतः ग्राम खिरखिड़ी की जमाबंदी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या 146, 25, 227 में प्रार्थी के पिता का नाम गँगी पुत्र रामलाल के स्थान पर गँगासहाय पुत्र रामलाल दर्ज कराने के आदेश फरमावें।
	तहसीलदार टोडाभीम ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि गँगी का नाम पिता के फौत होने पर विरासत के नामान्तकरण से आया है। गँगी का वास्तविक नाम गँगासहाय है। गाँव में गँगासहाय को गँगी के नाम से बोलते है। अतः गँगी के स्थान पर गँगासहाय किया जाना उचित है।
	प्रार्थी वकील को सुना गया। दस्तावेजो का का अवलोकन किया। ग्राम खिरखिड़ी की जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 146, 25, 227 में प्रार्थी के पिता का नाम गँगी पुत्र रामलाल दर्ज हो रहा है, जबकि खाता संख्या 31 में गँगासहाय पुत्र रामलाल दर्ज है तथा ग्राम पंचायत मण्डेरू की ओर से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र मे गँगासहाय पुत्र रामलाल नाम दर्ज है। तहसीलदार टोडाभीम ने भी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गँगी पुत्र रामलाल के स्थान पर गँगासहाय

(लगातार)

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

क्र	फर्द अहकाम	
	पुत्र रामलाल नाम दर्ज करने की अनुशंसा की है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में गौंगी पुत्र रामलाल के स्थान पर गैंगासहाय पुत्र रामलाल दर्ज किया जाना उचित पाता हूँ।	
	अतः ग्राम खिरखिड़ी के राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या 146, 25, 227 में दर्ज नाम गौंगी पुत्र रामलाल के स्थान पर गैंगासहाय पुत्र रामलाल दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार टोडाभीम को निर्णय की पालना के लिए निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	निर्णय आज दिनांक 11.2.20 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।	
	11/2/2020 (दुर्गा प्रसाद मीना) उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.03.04 15:47:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: